

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 4007

गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उत्तर प्रदेश से उड़ानें

4007. श्री तनुज पुनिया:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ानें शुरू करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए विकल्पों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सुझाव से सहमत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (घ) : उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी महाकुंभ मेला-2025 के दृष्टिगत राज्य के प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ हवाईअड्डों से अतिरिक्त उड़ानें आरंभ करने का सुझाव दिया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को सकारात्मक विचार के लिए साझा किया गया है, क्योंकि मार्च, 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के पश्चात, भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। अतः, इस संबंध में, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वह यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों पर हवाई सेवाएं प्रदान करें।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में 23 पर्यटन मार्गों को उड़ान योजना के 3.0, 4.1 और 4.3 के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के विभिन्न दौर में चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को अवार्ड किया गया है, जिसके लिए संपूर्ण व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) पर्यटन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। 11 मार्गों पर परिचालन आरंभ हो चुका है।
